

5/2/2018 कलुनाथपुरा

प्राचीन प्राचीन का 0.23 R.L. पर लगे हुए
 क्षेत्र के प्रकृत को पुनः लाने का अधिकार
 सुरक्षित रखते हुए अरिच विहीन शारिज आर्ज
 का निर्दिष्ट किया। प्राचीन अधिकार को ध्यान दिया
 कि प्राथमिक आपति वल्ल सुनने के पश्चात विधि
 अनुसार प्रकृत को विहीन प्राचीन पर अधिकार
 पर निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः प्रावली
 पर उपलब्ध करत विना, प्राथमिक आपति के अर्थ
 गये आनु विन्दुओं के दृष्टिकोण रखते हुए प्राचीन
 पर राजस्थान सू 2 अर्ध के अधि प्रयोजनाय श्रुति आवंरन
 नियम 1970 के नियम 20 के तहत पोषणीय नहीं किया
 जाता है। अतः प्राचीन को सक्षम प्रकृत के तहत नया नया
 अधीन प्रकृत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए
 प्राचीन प्रकृत प्राचीन पर सुरक्षित धार के तहत
 पोषणीय नहीं होने से शारिज दिया जाता है। प्रा
 केवल में शुभार क्षेत्र नमक से कम है।

अति. विना. कलुनाथ. पं. 18